न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तिनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद सं0 77 वर्ष 2024

आवेदक– प्रेमचन्द महतो
ग्राम– हुरलुंग
थाना– चतरोचट्टी जिला–बोकारो

क्रेता– किशुन महतो वगै0
ग्राम– हुरलुंग
थाना– चतरोचट्टी जिला–बोकारो

आदेश की क्र0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 03

14/8/25

आदेश

यह वाद **आवेदक–प्रेमचन्द महतो, पिता–स्व0 थानु महतो, निवास ग्राम+पो0–हुरलुंग, थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
हुरलुंग	**3**	**49**	**2282**	**35 डी0**	**11.66 डी0**	**रैयती, टॉड–II वर्तमान स्परूप परती**

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 55,000/–(पचपन हजार) रूपये में **क्रेता–1. किशुन महतो, पिता–थनु महतो, 2. हेमिया देवी, पति–बिशुन महतो, निवास ग्राम+पो0–हुरलुंग, थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 483/रा0, दिनांक 13.04.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–185, दिनांक–16.01.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. क्रेता एवं बिक्रेता दोनो जाति के कुरमी–महतो है। जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। क्रेता एवं बिक्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में चैता कुरमी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–54, भौलुम सं0–III पर धनु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1981–82 से 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार दाखिल–खारिज केश सं0–570/81–82 प्राधिकार कॉलम में दर्ज हैं।
03. खतियानी/जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध वंशावली के आधार पर पुत्र का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया।

बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में चैता कुरमी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अमिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–54, भौलुम सं0–III पर धनु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1981–82 से 2023–24 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैः–

01. बिकेता– केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता दोनो जाति के कुरमी–महतो है। जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एवं केता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक–प्रेमचन्द महतो, पिता–स्व0 थानु महतो, निवास ग्राम+पो0–हुरलुंग, थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
हुरलुंग 03	**49**	**2282**	**35 डी0**	**11.66 डी0**	**रास्ता**	**गणेश पाण्डेय**	**प्राण महतो**	**गणेश पाण्डेय**
			कुल	11.66 डी0 (ग्यारह दशमलव छियासठ डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 55,000/–(पचपन हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निधारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता–1. किशुन महतो, पिता–थनु महतो, 2. हेमिया देवी, पति–बिशुन महतो, निवास ग्राम+पो0–हुरलुंग, थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

14.8.2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

14.8.2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2026.01.10 16:15:24 +05:30
Location: 10.93.6.142